राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (192) आकाशि/नि.स./1999/ 714

दिनांक:- 08/05/2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी **सत्र 2016–17** से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूर्व संचालित संकाय/विषय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
		जे0आर0 शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाड़ोल, उदयपुर।	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित– कला **स्नातकोत्तर स्तर पर**– समाजशास्त्र, लोकप्रशासन। बी0सी0ए0।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित बेवपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 4 (192) आकाशि/नि.सं./99/553 दिनांकः– 08/1/2016

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2015–16 में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय संचालित करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है –

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित नवीन संकाय/विषय
जे.आर. शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तह0 झाड़ोल, जिला- उदयपुर	मोहनलाल सुखाड़िया वि0वि0उदयपुर	पूर्व संचालित विषयों के अतिरिक्त कला संकाय –हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पी0जी0डी0सी0ए0

सत्र 2016–17 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
   ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
   स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   द. समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती ।
   य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।
   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
6. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
7. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
8. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेन्जरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
9. बिन्दु सं0 1 में अंकित मानदण्डो की पूर्ति कर 30 दिवस में आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
10. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. **वर्ष 2015–16 की एन.ओ.सी. विश्वविद्यालय के अध्यधीन होगी ।**
13. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture formate) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard Coyp आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचि., उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली

8/1/16

संयुक्त–निदेशक (नियम0)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 4(21-9/412)अनु/आकाशि/विषय/98/301 दिनांक:- 31/7/09

आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर निम्न पूर्व संचालित महाविद्यालय में सत्र 2009-10 से उनके नाम के सम्मुख अंकित नये विषय/संकाय प्रारम्भ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन विषय/संकाय
1	412	[illegible] शर्मा मीनी महाविद्यालय, झाड़ोल- उदयपुर	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	वाणिज्य एवं [illegible]

1. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि-भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
7. संस्था को 30 सितम्बर 2009 तक योग्यताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
8. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।

9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एव भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नही होगा ।

10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।

11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि में ही आवेदन करना होगा ।

12. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष मे नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

13. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि मे जमा करायेगी ।

14. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

15. सत्र 2009–10 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त न होने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

(संदीप वर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1– निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3– निजी सचिव, आयुक्त महोदय, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4– जिला कलेक्टर, उदयपुर
5– विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभग, राजस्थान, जयपुर ।
6– कुल सचिव, एम. एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7– सचिव/प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी)
8– सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9– सबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
10– रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अनु)

समिति
दिनांक ... 5184 ...
हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1 (23)लेखा/आ.गशि/अनु./2004-05/ 230 दिनांक : 2.11.2004

कुल सचिव
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय
उदयपुर ।

विषय:- जे.आर. शर्मा पी.जी. महाविद्यालय, झाडोल (उदयपुर)को सत्र 2004-05 से स्नातक स्तर पर कला संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार जे.आर. पी.जी. महाविद्यालय, झाडोल (उदयपुर) को सत्र 2004-05 से स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों सहित 1- अर्थशास्त्र 2- समाजशास्त्र 3- भूगोल 4- संस्कृत 5- लोक प्रशासन 6- अंग्रेजी साहित्य 7- राजनीति शास्त्र 8- हिन्दी साहित्य 9- इतिहास में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ की जाती है :-

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर जारी राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करेगी ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।

ह0/-
2.11.04
(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
8. सचिव जे.आर. शर्मा पी.जी. महाविद्यालय, झाडोल (उदयपुर) ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)